न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी का नाम–

रेनू मीणा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 41/2017

भादर खां आयु 66 वर्ष पुत्र कालू खां जाति कायमखानी निवासी ग्राम जलालसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान

.... वादी

बनाम

1. लियाकत खां आयु 42 वर्ष
2. निसार खां आयु 35 वर्ष
3. सरवर खां आयु 30 वर्ष
4. उम्मेद खां आयु 28 वर्ष
5. असलम खां आयु 26 वर्ष
6. शहीदन बानो आयु 70 वर्ष
7. हस्ती आयु 39 वर्ष
8. रहीसा आयु 32 वर्ष पुत्रगण स्वर्गीय हबीब खां पत्नि स्वर्गीय हबीब खां पुत्रियां स्वर्गीय हबीब खां
9. असगर खां आयु 75 वर्ष पुत्र कालू खां समस्त जाति कायमखानी निवासी ग्राम जलालसर तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान
10. इण्डियनन ओवरसीज बैंक शाखा फतेहपुर जरिये मैनेजर
11. तहसीलदार फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान

.... प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्‌घोषणा व खाता दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 व 91 ए रा0का0 अधिनियम व धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट

उपस्थित अधिवक्ता

श्री रिड़मल सिंह – वादी

श्री जुनेद तगाला– प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

निर्णय

दिनांकः— 12.03.2018

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसील फतेहपुर के ग्राम जलालसर में स्थित कृषि भूमि जिसके वर्तमान खसरा नंबर 1,2,3 व 9 जिसका पुराना खसरा नंबर 1 है उक्त कृषि भूमि खसरा नंबर 1 की भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 पूर्वज स्वर्गीय हबीब खां पुत्र कालू खां व प्रतिवादी संख्या 9 की अलग अलग पंजीकृत विक्रय पत्र दोनों दिनांकित 22.02.1991 के जरिये खरीद की हुई भूमि है।

वादी ने उक्त कृषि भूमि जिसके पुराना खसरा नंबर 1 में से पूर्वी तरफ की 8 बीघा 10 बिस्वा पुख्ता बराबर 2.15 हैक्टेयर की भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की थी और वादी ने क्रय करने के पश्चात उक्त भूमि में अपने खर्चे से एक ढारा व पानी की कुण्ड बना रखी है और अपने हिस्से की भूमि के चारों और लोहे के तारों से तारबन्दी कर रखी है। और अपनी पूर्वी तरफ की भूमि पर काबिज चला आ रहा है।

प्रतिवादी संख्या 9 व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की पूर्वज स्वर्गीय हबीब खां पुत्र कालू खां ने उक्त कृषि भूमि जिसके वर्तमान खसरा नंबर 1 व 2 व पूर्व खसरा नंबर एक की भूमि में से पश्चिम की तरफ की 8 बीघा 10 बिस्वा पुख्ता बराबर 2.15 हैक्टेयर भूमि क्रय थी और प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 पश्चिम की तरफ की भूमि पर ही काबिज चले आ रहे है।

राजस्व कर्मचारियों की गलती से ग्राम जलालसर में स्थित वादी के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 3 रकबा 2.00 हैक्टेयर व भूमि खसरा नंबर 9 रकबा 0.15 हैक्टेयर कुल रकबा 2.15 हैक्टेयर भूमि का खाता गलत रुप से वादी को बिना सूचना दिए व बिना सुनवाई का अवसर दिए प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के नाम खाता बना दिया जबकि प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 1 व 2 रकबा 2.15 हैक्टेयर भूमि का खाता गलत व विधि—विरुद्ध तरीके से वादी को बिना सूचना दिए वादी के नाम खाता बना दिया गया है जो वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के वास्तविक कब्जे के अनुसार नहीं होने से खाता दुरुस्त किये जाने योग्य है खसरा नंबर 1 व 2 से वादी का नाम व खसरा नंबर 3 व 9 से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 का नाम हटाये जाने योग्या है। तथा वादी खसरा नंबर 3 रकबा 2.00 हैक्टेयर व खसरा नंबर 9 रकबा 0.15 हैक्टेयर कुल रकबा 2.15 हैक्टेयर का खाता अपने नाम बनवाने का अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 खसरा नंबर 1 व 2 कुल रकबा 2.15 हैक्टेयर भूमि का खाता अपने नाम बनवाने के भूमि में से 1/2 हिस्से का खाता प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 अपने नाम बनवाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण संख्या 9 उक्त भूमि में से 1/2 हिस्से का खात अपने नाम अधिकारी है तथा वादी द्वारा अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 10 के रहन दर्ज है को खसरा नंबर 1 व 2 से हटाकर खसरा नंबर 3 पर कायम किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर

उद्घोषणा फरमाई जावे कि तहसील फतेहपुर के ग्राम जलालसर में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 3 रकबा 2.00 हैक्टेयर व खसरा नंबर 9 रकबा 0.15 हैक्टेयर कुल रकबा 2.15 हैक्टेयर का खाता वादी अपने नाम बनवाने का अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 खसरा नंबर 1 व 2 कुल रकबा 2.15 हैक्टेयर में से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 अपने 1/2 हिस्से का खाता व प्रतिवादी संख्या 9 उक्त भूमि में से 1/2 हिस्से का खाता अपने – अपने नाम बनवाने के अधिकारी है तथा खसरा नंबर 1 व 2 से वादी का नाम व खसरा नंबर 3 से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 का नाम हटाया जाकर उपरोक्त प्रकार खाता दुरुस्त किये जाने योग्य है और खसरा नंबर 1 व 2 पर दर्ज रहन को खसरा नंबर 3 पर कायम किया जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

आदेश

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गयी। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 6 ता 9 की ओर से श्री जुनेद तगाला एड. ने वकालतनामा तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1,2 6ता 9 के मध्य राजीनामा पेश किया। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5,10, 11 बावजूद तामील के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में भू अ.नि. उदनसर से मौका कमीशनर रिपोर्ट ली गयी। अतः वाद डिक्री किया जाता है कि ग्राम जलालसर की भूमि खसरा नंबर 3 रकबा 2.00 हैक्टेयर व खसरा नंबर 9 रकबा 0.15 हैक्टेयर कुल रकबा 2.15 हैक्टेयर का खाता वादी के नाम तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 खसरा नंबर 1 व 2 कुल रकबा 2.15 हैक्टेयर में से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 अपने 1/2 हिस्से का खाता व प्रतिवादी संख्या 9 उक्त भूमि में से 1/2 हिस्से का खाता नाम तथा खसरा नंबर 1 व 2 से वादी का नाम व खसरा नंबर 3 से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 का नाम हटाया जाकर खाता दुरुस्त किये जाने और खसरा नंबर 1 व 2 पर दर्ज रहन को खसरा नंबर 3 पर कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन खातेदारान बदस्तुर जारी रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर(सीकर)

पर्चा डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.................मुकाम.........फतेहपुर (सीकर)

इजलास...............रेनू मीणा (आर.ए.एस.)..

भादर खां आयु 66 वर्ष पुत्र कालू खां जाति कायमखानी नवासी ग्राम जलालसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान

.... वादी

बनाम

1. लियाकत खां आयु 42 वर्ष
2. निसार खां आयु 35 वर्ष
3. सरवर खां आयु 30 वर्ष
4. उम्मेद खां आयु 28 वर्ष
5. असलम खां आयु 26 वर्ष
6. शहीदन बानो आयु 70 वर्ष
7. हस्ती आयु 39 वर्ष
8. रहीसा आयु 32 वर्ष पुत्रगण स्वर्गीय हबीब खां पत्नि स्वर्गीय हबीब खां पुत्रियां स्वर्गीय हबीब खां
9. असगर खां आयु 75 वर्ष पुत्र कालू खां
   समस्त जाति कायमखानी निवासी ग्राम जलालसर तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर राजसस्थान
10. इण्यिनन ओवरसीज बैंक शाखा फतेहपुर जरिये मैनेजर
11. तहसीलदार फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान

.... प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा व खाता दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 व 91 ए रा0का0 अधिनियम व धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट

मुकद्दमा नं.....41...............................सन्....2017...

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..........मेरे...

व हाजिरी...श्री रिड़मल सिंह एडवोकेट..........................मिनजानिब मुद्दई रूबरू.......श्री जुनेद तंगाला..................

....मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम जलालसर की भूमि खसरा नंबर 3 रकबा 2.00 हैक्टेयर व खसरा नंबर 9 रकबा 0.15 हैक्टेयर कुल रकबा 2.15 हैक्टेयर का खाता वादी के नाम तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 खसरा नंबर 1 व 2 कुल रकबा 2.15 हैक्टेयर में से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 अपने 1/2 हिस्से का खाता व प्रतिवादी संख्या 9 उक्त भूमि में से 1/2 हिस्से का खाता नाम तथा

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

खसरा नंबर 1 व 2 से वादी का नाम व खसरा नंबर 3 से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 का नाम हटाया जाकर खाता दुरुस्त किये जाने और खसरा नंबर 1 व 2 पर दर्ज रहन को खसरा नंबर 3 पर कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निज.....– ....मुबलिग..................–.....................बाबत.......................–.....................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय शूद बशरह.................–.........................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक...का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .....12......माह ......मार्च..........सन् 2018 को जारी की गई।

दस्तखत..

मुहर

ओहदा........................उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	4		स्टाम्प अर्जी दावा	–	
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	1	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महन्ताना वकील	–		महन्ताना वकील	–	
खर्चा गवाहान	–		खर्चा गवाहान	–	
फीस कमिश्नर	–		फीस कमिश्नर	–	
बबत इजराय हुक्मनामा	–		बबत इजराय हुक्मनामा	–	
मुतफरिक	–		मुतफरिक	2	
मीजान	5			3	

नोट – इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो पुरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हा या नहीं।